

Website:- www.dipronline.org

email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झुंझुनू

सतर्कता समिति में दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाये

-गुप्ता

झुंझुनू, 27 फरवरी: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने कहा है कि सतर्कता समिति में दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए तथ्यात्मक जांच प्रस्तुत की जाये ताकि परिवादी को अनावश्यक रूप से चक्कर नहीं लगाने पड़ें और उसे जांच के बाद राहत भी प्रदान की जा सके। वे शनिवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा भवन में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि सतर्कता समिति में सब जगह से निराश होकर ही पीड़ित व्यक्ति अपना परिवाद दायर करवाता है। अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में शिथिलता नहीं बरतें और समय पर शिकायत की जांच करके समिति में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि पीड़ित व्यक्ति को वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया जा सके। उन्होंने समिति में दर्ज 26 प्रकरणों पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं पीड़ित पक्षकारों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मंदिर माफी की जमीनों का सर्वे करके प्रभावित व्यक्तियों को चिन्हित करने के निर्देश भी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को दिये हैं। कृषि आदान से सम्बन्धित प्राप्त राशि का भुगतान भी सम्बन्धित को आगामी 7 मार्च से पहले करने की हिदायत दी गई है। बैठक में 26 मामलों में से 14 मामलों का रिपोर्ट प्राप्त होने और उचित कार्यवाही होने के बाद मौके पर ही निस्तारण करते हुए ड्राप किया गया। अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बिन्दुवार एक-एक प्रकरण की जानकारी से अवगत कराया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक अजयपाल लाम्बा भी उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर ने शेष रहे 12 मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों को अगली बैठक से पहले उचित कार्रवाई करते हुए बैठक में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बैठक में आने से पहले सम्बन्धित प्रकरण की जांच करके विस्तृत जानकारी साथ लेकर आए। केड़ गांव के एक मामले में वहां के सरपंच द्वारा राजकीय गोचर एवं बंजर भूमि के पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में उदयपुरवाटी के तहसीलदार को गलत पट्टों निरस्त करने, ग्रामसेवक को निलम्बित करने और तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के निर्देश भी दिये। इसी प्रकार जाटावास तन बगड़ के परिवादी शिवकुमार द्वारा नगरपालिका के भवन निर्माण में किये गये कार्य की मजदूरी दिलवाने के क्रम में वहां के अधिशासी अधिकारी को भुगतान करवाने के निर्देश दिये। बैठक में जिला परिषद के ए.सी.ई.ओ. जे.एन. मथुरिया, झुंझुनू के उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र कुमार कोठारी, चिड़ावा के नारायण सिंह शेषमा, खेतड़ी के डॉ. भागचन्द्र बधाल, उदयपुरवाटी के बिहारीलाल मीणा व तहसीलदार, विकास अधिकारी, मुख्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.बी. सिंह, जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह सहित अन्य अधिकारी व परिवादी उपस्थित थे।

.....2.....

(2)

गुजरात की राज्यपाल डॉ. कमला 2 मार्च को गौरीर आएंगी

झुंझुनू, 27 फरवरी: गुजरात की राज्यपाल महामहिम डॉ. श्रीमती कमला आगामी 2 मार्च को जिले की खेतड़ी तहसील के अपने पैतृक गांव गौरीर आएंगी। जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि राज्यपाल दो मार्च को प्रातः 11.45 बजे जयपुर से हेलीकोप्टर द्वारा रवाना होकर 12.30 बजे गौरीर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बनाये गये अस्थाई हेलीपैड पर पहुंचेगी।

अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि महामहिम राज्यपाल का गांव वालों की ओर से यहां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित समारोह में 12.30 बजे से नागरिक अभिनन्दन किया जायेगा और अपहरान ढाई बजे से पौने पांच बजे तक लंच व विश्राम के बाद शाम 5 बजे गौरीर गांव से राज्यपाल डॉ. कमला हेलीकोप्टर द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी।

गौरीर में कानून व्यवस्था के लिए चार मजिस्ट्रेट नियुक्त

झुंझुनू, 27 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके गुजरात की महामहिम राज्यपाल डॉ. श्रीमती कमला के गौरीर गांव की प्रस्तावित यात्रा के दौरान वहां कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं।

अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि खेतड़ी के उपखण्ड मजिस्ट्रेट डॉ. भागचन्द्र बधाल को महामहिम के समस्त कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी देने के लिए तैनात किया गया है, जबकि चिड़ावा के उपखण्ड मजिस्ट्रेट नारायण सिंह शेषमा को राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में सभा स्थल के लिए और बुहाना के तहसीलदार को हेलीपैड पर तथा खेतड़ी के तहसीलदार को महामहिम के निवास स्थल (गौरीर) पर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाया गया है। सभी मजिस्ट्रेट दो मार्च को 10 बजे गौरीर गांव पहुंचकर अपनी

ड्यूटी को अंजाम देंगे। खेतड़ी के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इन सभी कार्यक्रमों के लिए प्रभारी मजिस्ट्रेट भी बनाया गया है।
